संख्या–161/नि/43–2–2014

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश सरकार।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 *लखनऊ:: दिनांक : 21 फरवरी, 2014*

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम व सेवोत्तम मॉडल के प्रथम मॉड्यूल यथा–प्रभावी चार्टर कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक दिवसीय Interactive Session आयोजित किया जाना।

महोदय,

कृपया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–नि0165/43–1–13, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 व पत्र संख्या–428/43–2–13, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 (जिनकी छाया प्रतियां पत्र के साथ संलग्न हैं) का अवलोकन करने कष्ट करें।

2– उक्त पत्रों द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 व जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 को निम्नतर स्तर (Grassroot Level) तक प्रचार–प्रसार तथा जनसेवा से जुड़े 42 विभागों में सेवोत्तम मॉडल विकसित करें।

3– यह संज्ञान में आया है कि फील्ड व जनपद स्तरीय कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों की कई जिज्ञासाएं होती हैं जिनका समाधान न होने की दशा में प्रायः सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना तय सीमा में उपलब्ध नहीं हो पाती और वे प्रथम अपील व कई बार द्वितीय अपील करने हेतु बाध्य होते हैं।

4– उपर्युक्त के अतिरिक्त जनता से जुड़े 42 विभागों में सेवोत्तम मॉडल विकसित किया जाना है। सेवोत्तम मॉडल के तीन मॉड्यूल होते हैं यथा–प्रभावी चार्टर कार्यक्रम, सार्वजनिक शिकायत समाधान तथा सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता। जनता से जुड़े 42 विभागों के प्रत्येक सेवा प्रदाता कार्यालय (जनपद स्तर तक) का नागरिक चार्टर भिन्न–भिन्न होगा, जिसका सफल कियान्वयन कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मण्डल में एक दिवसीय Interactive Session का आयोजन प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त Interactive Session के आयोजन के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)
प्रमुख सचिव। 20/2/2014

निदे० - 165

संख्या– /43–1–2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4– प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5– प्रमुख सचिव
सूचना विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

6– निदेशक
आकाशवाणी
लखनऊ।

7– निदेशक
दूरदर्शन, लखनऊ।

8– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1 लखनऊ :: दिनांकः 18 दिसम्बर, 2013

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम व जनहित गारन्टी अधिनियम के प्रचार–प्रसार के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 पूरे प्रदेश में प्रभावी है।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न मार्गदर्शिकाएं समय–समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी है, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3– मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अधीन अभी तक विभिन्न विभागों की 140 सेवाएं अधीसूचित की जा चुकी है।

4– उक्त दोनों अधिनियम का प्रचार–प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है और समाज के निम्नतम स्तर (Grassroot Level) तक इसकी पहुँच बनानी है। अतः उचित होगा कि प्राथमिक पाठशालाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादी की दीवारों पर इस अधिनियम को चस्पा किया जाये। इन्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालय स्तर पर भी उक्त अधिनियम से संबंधित परिचर्चा, व्याख्यान व कार्यशाला आयोजित किया जाना उचित होगा। अधिनियम के बारे में अधिक जानकारी हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग में रिसोर्स व्यक्ति (Resource Person) के रूप में दो वरिष्ठ शोध अधिकारी यथा डा0 विपिन कुमार (email ID: vipinupgov@rediffmail.com; mobile-9335260726) तथा डा0 राहुल सिंह (email ID: rahulupgov@gmail.com; mobile:9450656526) प्रगतिशील हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त दोनों अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जाय। उक्त दोनों अधिनियम से संबंधित जानकारी व विभिन्न शासनादेश प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय वेबसाइट *(www.adminreform.up.nic.in)* पर उपलब्ध है।

भवदीय,

17-12-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 528 /43–2–2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

सेवा में,

1– महानिदेशक
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन
अकादमी (उपाम), लखनऊ।

2– महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
ग्राम्य विकास संस्थान।

3– निदेशक
सचिवालय प्रशिक्षण एवं ,
प्रबन्ध संस्थान।

4– प्रमुख सचिव / सचिव
(संलग्न सूची अनुसार),
उत्तर प्रदेश शासन।

5– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांकः 17 दिसम्बर, 2013

विषयः– जनता से सीधे जुडे हुए विभागों में सेवोत्तम माडल विकसित किये जाने हेतु के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग –2के पत्र सं0 172/43–2–2013 दिनॉक 16 अगस्त, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवोत्तम माडल से संबंधित सत्र आयोजित किये जायें।

सेवोत्तम माडल के 3 माड्यूल यथा – प्रभावी चार्टर कार्यक्रम, सार्वजनिक शिकायत समाधान तथा सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता आदि, हेतु 33 कियान्वयन बिन्दु विकसित किये गये हैं जो कि भारत सरकार की वेबसाइट *(www.darpg.gov.in)* पर उपलब्ध हैं। अभी तक आवास विकास परिषद में सेवोत्तम माडल विकसित किया जा चुका है। सेवोत्तम मॉडल से संबंधित प्रशासनिक सुधार विभाग में रिसोर्स व्यक्ति (Resource Person) के रूप में दो वरिष्ठ शोध अधिकारी यथा डा0 विपिन कुमार (email ID: vipinupgov@rediffmail.com; mobile-9335260726) तथा डा0 राहुल सिंह (email ID: rahulupgov@gmail.com; mobile:9450656526) कार्यरत हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि जन सेवा से जुडे विभागों में अतिशीध्र सेवोत्तम मॉडल विकसित किया जाय और इसकी जानकारी प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायें।

भवदीय,
17-12-13
(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि :– श्री पी0के0 तिवारी, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

जन सेवा से जुडे विभागों की सूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	कृषि
2.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
3.	पशुधन
4.	पिछड़ा वर्ग कल्याण
5.	बेसिक शिक्षा
6.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास
7.	कारागार, प्रशासन एवं सुधार
8.	संस्थागत वित्त ,कर एवं निबन्धन
9.	गृह
10.	सहकारिता
11.	दुग्ध
12.	ऊर्जा
13.	आबकारी
14.	मत्स्य
15.	खाद्य एवं रसद
16.	वन
17.	लघु सिंचाई
18.	विकलांग कल्याण
19.	हथकरघा वस्त्र उद्योग
20.	उच्च शिक्षा
21.	आवास एवं शहरी नियोजन
22.	औद्योगिक विकास
23.	सिंचाई
24.	खादी एवं ग्रामोद्योग
25.	श्रम
26.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
27.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ
28.	पंचायती राज
29.	लोक निर्माण
30.	राजस्व
31.	ग्राम्य विकास
32.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
33.	माध्यमिक शिक्षा
34.	रेशम
35.	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
36.	समाज कल्याण
37.	प्राविधिक शिक्षा
38.	पर्यटन
39.	परिवहन
40.	नगर विकास
41.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
42.	महिला एवं बाल विकास